अप्रार्थी:— तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से — अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी।

अप्रार्थी की ओर से— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांकः— 27/1/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— ग्राम हरिपुरा तहसील ओसियां की सरहद में प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 19रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 20 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में प्रार्थी सांगसिंह व प्रार्थी के भाई बुलीदानसिंह के पिता का नाम सजनसिंह दर्ज है। परन्तु संवत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी चौसाला बनाते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के पिता का नाम सजनसिंह के स्थान पर जेठुसिंह दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के तमाम दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में पिता का नाम सजनसिंह दर्ज है तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 115 बीघा 19 बिस्वा ग्राम हरिपुरा के राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बूलीदानसिंह के पिता का नाम सजनसिंह दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बुलीदानसिंह के पिता का नाम जेठुसिंह के स्थान पर सजनसिंह दर्ज किया जाता है तो अन्य खातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19

रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा व खसरा नम्बर 20 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा ग्राम हरिपुरा तहसील ओसियां के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी सांगसिंह व प्रार्थी के भाई बुलीदानसिंह के पिता का नाम जेठुसिंह दर्ज है जो गलत है इसके स्थान पर पिता का सही नाम सजनसिंह दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने का आदेश फरमावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड सांगसिंह बुलीदानसिंह, दिलीपसिंह पि. जेठूसिंह के स्थान पर सांगसिंह, बुलीदानसिंह पि. सजनसिंह व दिलीपसिंह पि. जेठुसिंह दर्ज किये जाने की अनुशंषा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता वास्तविक नाम सजनसिंह है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा व खसरा नम्बर 20 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा ग्राम हरिपुरा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में सांगसिंह बुलीदानसिंह, दिलीपसिंह पि. जेठूसिंह के स्थान पर सांगसिंह, बुलीदानसिंह पि. सजनसिंह व दिलीपसिंह पि. जेठुसिंह दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner